न्यायालय, उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी, लातेहार।

राजसात वाद संख्या-69/2023

राज्य

बनाम्

शंकर प्रसाद वगैरह

—: आदेश :—

वर्तमान वाद की प्रक्रिया पुलिस अधीक्षक, लातेहार के पत्रांक 1112/अप0शा0 दिनांक 21.05.2023 से बारियातु थाना काण्ड संख्या—30/2023 दिनांक—29.04.2023 में जप्त मोटरसाईकल को राजसात की कार्रवाई हेतु प्राप्त प्रस्ताव के आलोक में प्रारम्भ किया गया।

यह वाद बारियातु थाना काण्ड संख्या—30/2023 दिनांक—29.04.2023 से संबंधित है।

"The Jharkhand Minerals (Prevention of Illegal Mining, Transportation and Storage) Rules 2017" के नियम 11(v) में उल्लेखित है कि "Any minerals, tool, equipment, vehicle or anything seized shall be liable to be confiscated by an order of the court of the Deputy Commissioner of the concerned district and shall be disposed of in accordance with direction of such court." एवं नियम 9 (i) में उल्लेखित है कि No person shall transport or otherwise remove or carry away any mineral from any place without obtaining a transport challan duly generated through JIMMS.

राज्य की ओर से पुलिस अधीक्षक, लातेहार द्वारा दाखिल दस्तावेज में कहा गया है कि पुलिस अवर निरीक्षक, रवि कुमार, द्वारा स्वयं बारियातु थाना काण्ड संख्या—30/2023 दिनांक—29.04.2023 दर्ज किया गया, जिसमें उल्लेखित है कि दिनांक 28.04.2023 को समय करीब 16:55 बजे पुलिस अधीक्षक को गुप्त सुत्रों से प्राप्त सूचना के आलोक में शसस्त्र बल के साथ सूचना का सत्यापन के लिए निकलने के उपरान्त ग्राम—चेड़रा मोड के पास 1. पैशन प्रो मोटरसाईकल रजि0 नं0—JH02AF-5862 जिसमे करीब 3 क्विंटल कोयला, 2. स्पलेन्डर प्लस मोटरसाईकल चेसीस नं0—MBLHAR08XHHNBH0520 इंजन नं0—HA10AGHHB79720 जिसपर 3 क्विंटल कोयला एवं 3. स्पलेन्डर प्लस मोटरसाईकल चेसीस नं0—MBLHAW126PHA15457 इंजन नं0—HA11EDP HA47966 जिसपर 3 क्विंटल कोयला कुल—9 क्विंटल चोरी के कोयला के साथ तीनों मोटरसाईकल को जप्त किया गया। काण्ड में जप्त तीनों मोटरसाईकल

के मालिक का नाम पता सत्यापन प्रतिवेदन से ज्ञात हुआ कि 1. पैशन प्रो मोटरसाईकल रजि0 नं0–JH02AF-5862 के मालिक मनोज यादव, पे0–लखन यादव, सा0–भाटचतरा, थाना–बारियातु, जिला–लातेहार, 2. स्पलेन्डर प्लस मोटरसाईकल चेसीस नं0–MBLHAR08XHHNBH0520 इंजन नं0–HA10AGHHB79720 पंजीयन नं0–JH02AQ-3447 के मालिक शंकर प्रसाद, पे0–स्व0 दिलचन्द महतो, सा0–बानादाग, पो0–सुलाना, थाना–कटकमदाग, जिला–हजारीबाग एवं 3. स्पलेन्डर प्लस मोटरसाईकल चेसीस नं0–MBLHAW126PHA15457 इंजन नं0– HA11EDPHA47966 रजि0 नं0–JH13J-3018 के मालिक राजेश पासवान, पिता–ओम राम पासवान, सा0–डाडा, पो0–शिवराजपुर, थाना–लावालौंग, जिला–चतरा है। जप्त मोटरसाईकल 1. पैशन प्रो मोटरसाईकल रजि0 नं0–JH02AF-5862, 2. स्पलेन्डर प्लस मोटरसाईकल रजि0 नं0–JH02AQ-3447 एवं 3. स्पलेन्डर प्लस मोटरसाईकल रजि0 नं0–JH13J-3018 एवं उसपर लदे कुल–9 क्विंटल अवैध कोयला के विरूद्ध राजसाता की कार्रवाई किया जाय।

उत्तरवादी संख्या–1 मनोज कुमार यादव एवं उत्तरवादी संख्या–3 राजेश पासवान के द्वारा कुछ तिथियों में उपस्थित हुए परन्तु उनके द्वारा अपने बचाव पक्ष में जवाब दाखिल नहीं किया गया है। उत्तरवादी संख्या–2 शंकर प्रसाद द्वारा जवाब दाखिल किया गया है कि स्पलेन्डर प्लस मोटरसाईकल रजि0 नं0–JH02AQ-3447 की चोरी दिनांक 10.02.2021 को पहाडी बाजार, बानादाग से हो गई थी। उक्त मोटरसाईकल चोरी होने की प्राथमिकी स्थानीय थाना–कटकमदाग में थाना काण्ड संख्या–18/2021 दिनांक 10.02.2021 दर्ज किया गया है। साथ हीं दर्ज प्राथमिकी की छायाप्रति प्रस्तुत किया गया है।

उत्तरवादीगण के विरूद्ध बारियातु थाना काण्ड संख्या–30/23 धारा–379/414 भा0द0वि0, धारा–30(ii) कोल माइन्स एक्ट, धारा–21 एम0एम0डी0आर0 एक्ट एवं 13 जे0एम0 रूल 2017 के तहत् दर्ज किया गया है।

बार–बार नोटिस का तामिला कराये जाने के बावजूद भी उत्तरवादी संख्या–1 एवं 3 अनुपस्थित रहने लगे। फलस्वरूप नोटिस का प्रकाशन स्थानीय दैनिक सामाचार पत्रों में कराया गया। उत्तरवादीगण के लगातार अनुपस्थित रहने के कारण वाद को एकपक्षीय करते हुए अभिलेख में उपलब्ध दस्तावेजों के समीक्षोपरांत यह स्पष्ट होता है कि बारियातु थाना काण्ड संख्या–30/23 दिनांक 29.04.2023 में जप्त उत्तरवादी संख्या–2 शंकर प्रसाद का स्पलेन्डर प्लस मोटरसाईकल रजि0 नं0–JH02AQ-3447, चेसीस नं0–MBLHAR08XHHNBH0520 इंजन नं0–HA10AGHHB79720 की चोरी, पहाडीबाजार, बानादाग से दिनांक 10.02.2021 को होने की प्राथमिकी कटकमदाग थाना काण्ड संख्या–18/2021 दिनांक 10.02.2021 दर्ज कराया गया है, जिसकी छायाप्रति प्रस्तुत किया गया है। उक्त के आलोक में उत्तरवादी संख्या–2 शंकर प्रसाद का

स्पलेन्डर प्लस मोटरसाईकल रजि० नं०–JH02AQ-3447, चेसीस नं०–MBLHAR08 XHHNBH0520 इंजन नं०–HA10AGHHB79720 के विरूद्ध दर्ज कराये गये कटकमदाग थाना में प्राथमिकी का पुलिस अधीक्षक, लातेहार द्वारा सत्यापन कराकर मोटरसाईकल रजि० नं०–JH02AQ-3447, चेसीस नं०–MBLHAR08 XHHNB H0520 इंजन नं०–HA10AGHHB79720 के वास्तविक मालिक को विधिवत हस्तगत करायेंगे तथा चालक के विरूद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी।

उत्तरवादी संख्या–1 मनोज कुमार यादव, पैशन प्रो मोटरसाईकल रजि० नं०–JH02AF-5862 एवं उत्तरवादी संख्या–3 राजेश पासवान स्पलेन्डर प्लस मोटरसाईकल रजि० नं०–JH13J-3018 चेसीस नं०–MBLHAW126PHA15457 इंजन नं०–HA11EDPHA47966 तथा जप्त 9 क्विंटल कोयला को राजसात करने का आदेश दिया जाता है। जिला खनन पदाधिकारी, लातेहार 08 सप्ताह के अन्दर नियमानुसार वाहन की निलामी कर प्राप्त राशि को सरकारी कोष में जमा कर प्रतिवेदन समर्पित करेंगे। जिला परिवहन पदाधिकारी, लातेहार राजसात वाहन का निलामी की प्रक्रिया में आवश्यक सहयोग करेंगे।

आदेश की प्रति थाना प्रभारी, बारियातु, जिला खनन पदाधिकारी, लातेहार, जिला परिवहन पदाधिकारी, लातेहार, लोक अभियोजक, लातेहार, पुलिस अधीक्षक, लातेहार, मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, व्यवहार न्यायालय, लातेहार एवं प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, लातेहार को भेजें।

अभिलेख अभिलेखागार में जमा करें।

लिखाया एवं शुद्ध किया।

उपायुक्त,
लातेहार।

उपायुक्त,
लातेहार।

Digitally signed by Garima Singh
Date: 2024.09.20 16:48:26 +05:30
Location: 192.168.164.143